राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(468)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक : 12 JUN 2019

आदेश

डॉ0 भारती पालीवाल (मेरिट क्रंमाक –108, जन्म तिथि–08.09.1981, वर्ग–अनु. जाति) को आदेश क्रंमाक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 पालीवाल को आदेश जारी तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में कार्यग्रहण करना था। डॉ0 पालीवाल के निवेदन पर नवनियुक्ति पर इनके कार्यभार ग्रहण काल में नियमानुसार छः माह की अभिवृद्धि की गई लेकिन डॉ0 पालीवाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि की गई अवधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। डॉ0 पालीवाल द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप समसंख्यक आदेश दिनांक 11.01.2018 द्वारा इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये।

डॉ0 पालीवाल द्वारा उक्त नियुक्ति निरस्त आदेश दिनांक 11.01.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6409 / 2018 दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.03.2018 के द्वारा नियुक्ति निरस्त आदेश दिनांक 11.01.2018 के अनुसरण में डॉ0 पालीवाल की नियुक्ति निरस्त नही किये जाने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.07.2018 के द्वारा डॉ0 पालीवाल को कार्यग्रहण करने की अनुमति देने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में खंडपीठ अपील संख्या 53 / 2019 दायर की गई है। प्रकरण में डॉ0 भारती पालीवाल द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में S.B. Civil Contempt Petition No. 386/2019 in S.B. Civil writ Petition No. 6409/2018 दायर की गई।

अतः अवमानना याचिका के मद्देनजर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 6409 / 2018 में दिनांक 26.07.2018 को पारित आदेश की पालना हेतु डॉ0 पालीवाल को इस विभाग के आदेश क्रंमाक आदेश क्रंमाक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में दी गई नियुक्ति के क्रम में नियुक्ति निरस्त आदेश दिनांक 11.01.2018 को निरस्त करते हुए यह आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 भारती पालीवाल को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कार्यभार ग्रहण करने की प्रदत्त यह अनुमति प्रकरण में दायर खंडपीठ अपील संख्या 53 / 2009 के निर्णय के अध्यधीन होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996दिनांक 06.04.2017 एवं प.1(468)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2017 दिनांक 11.01.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
5. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
7. डॉ0 भारती पालीवाल पत्नी डॉ0 रवीन्द्र कुमार गहलोत, क्वार्टर नं. 03 दिलशाद भवन 69, चेतक सर्कल, उदयपुर–313001 (रजिस्टर्ड पत्र)।
8. रक्षित पत्रावली।

(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव